www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 20.04.2017

सीबीआई ने व्यापम मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने व्यापम मामलों के विशेष दण्डाधिकारी की अदालत, ग्वालियर के द्वारा ज़ारी गैर जमानती वारन्ट के आधार पर व्यापम से सम्बन्धित मामले में गॉंव खिडोरा, जिला मुरैना (मध्य प्रदेश) निवासी एक आरोपी को आज गिरफ्तार किया। आरोपी, दिनांक 10.04.2017 को पूरक आरोप पत्र दायर होने के समय नोटिस प्राप्त करने के बाद भी उपस्थित नही हुआ। वह दिनांक 30.09.2012 को व्यापम द्वारा आयोजित पी.सी.आर.टी. परीक्षा-2012 हेतु उम्मीदवार था तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 419, 420 के साथ पठित धारा 511, 467, 468 एवं 471 तथा मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त अधिनियम,1937 की धारा ¾ के तहत समाधानकर्ता (सॉल्वर) व मध्यस्थ के साथ व्यापम घोटाला मामले के विशेष दण्डाधिकारी की अदालत, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में सीबीआई द्वारा उसके ऊपर आरोप पत्र दायर था।

गिरफ्तार आरोपी को व्यापम मामलों के विशेष दण्डाधिकारी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।

****